MSME इकाइयों को सस्ती दर पर दी जाएगी ज़मीन

योगी कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल एस्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी को दी मंजूरी

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** प्रदेश में एमएसमएई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग-अलग शहरों में एमएसएमई पार्क बना रही है। इसमें इकाइयों को सस्ते दर पर जमीन आवंटित की जाएगी, जिससे वह आसानी से उद्योग लगा सकें। यह जमीन लीज/रेंट पर दी जाएगी, जिसका आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई विभाग की इंडस्ट्रियल एस्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई।

लीज/ रेंट पर ई-नीलामी के आधार पर होगा आवंटन

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मध्यांचल में बुंदेलखंड व पूर्वांचल में ₹2,000/वर्गमीटर, मध्यांचल में ₹2,500/वर्गमीटर और पश्चिमांचल में ₹3000/वर्गमीटर बेस प्राइस रखी गई है। हर साल इसमें 5% का इजाफा किया जाएगा। ई-ऑक्शन में शामिल होने के लिए 10% धनराशि जमा करनी होगी। लैंड यूज में कोई भी बदलाव इंडस्ट्री कमिश्नर के स्तर से हो सकेगा। कुल भूखंड व शेड में 10% एससी-एसटी के लिए आरक्षित होगा। आवंटन के एक साल बाद लीज रेंट जमा किया जाना अनिवार्य होगा पर 18% ब्याज जुर्माने के तौर पर देना होगा।

लेदर व फुटवियर इकाइयों के लिए खुला छूट का पिटारा : प्रदेश में पहली बार फुटवियर, लेदर व नॉन लेदर क्लस्टर डिवेलपमेंट पॉलिसी तैयार की गई है। इसके जरिए फुटवियर इकाइयों के लिए छूट का पिटारा खोल दिया गया है। कैबिनेट ने पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि देश से होने वाले लेदर एक्सपोर्ट में यूपी की भागीदारी 46% है। इस क्षेत्र में अभी 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है जबकि इसमें 40 लाख से अधिक रोजगार की संभावनाएं है। यही कारण है कि निर्यात, निवेश, जमीन, बिजली आदि अलग-अलग मानकों पर सब्सिडी देकर इन्हें और प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना में स्टैंडअलोन यूनिट या फुटवियर व लेदर मशीन निर्माण यूनिट को पश्चिमांचल में लगाने पर 25% लैंड सब्सिडी व पूंजी निवेश का 20% (अधिकतम ₹30 करोड़) तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, मध्यांचल, पूर्वांचल या बुंदेलखंड में लगाने पर 35% लैंड सब्सिडी और पूंजी निवेश का 30% तक (अधिकतम ₹45 करोड़) कैपिटल सब्सिडी की सीमा तय की गई है। मेगा एंकर, क्लस्टर यूनिट की स्थिति में यह सब्सिडी 75-80% तक मिलेगी। पश्चिमांचल में मेगा एंकर यूनिट पर 30% तक (अधिकतम ₹600 करोड़) व अन्य क्षेत्रों में स्थापना पर 35% तक (अधिकतम ₹700 करोड़) तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगीज क्लस्टर यूनिट में यह सीमा ₹120 से 140 करोड़ तक तय की गई है। निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर भी पूंजी निवेश के 25% तक सब्सिडी दी जाएगी।

कैबिनेट के फैसले

सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक गुरुवार को लोकभवन में हुई।

ये भी फैसले हुए

- वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, बोधिसत्व विवि, बाराबंकी व केडी विवि के संचालन के लिए अथारिटी लेटर जारी करने को मंजूरी
- 60 लाख तिरंगे की खरीद नगर निकायों के माध्यम से की जाएगी
- सरकार अब 3% की जगह जीडीपी का 3.5% कर्ज ले सकेगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंध अधिनियम में संशोधन होगा
- नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर कैग और छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी
- केजीएमयू की कार्यपरिषद में एससी/एसटी व ओबीसी का प्रतिनिधि भी रखा जाएगा
- नगर निगमों में स्काई साइन व विज्ञापन का लाइसेंस अब दो साल की जगह 15 साल के लिए दिया जा सकेगा
- 62 जिलों के 1750 ट्यूबवेल की बोरिंग को ₹561 करोड़ मंजूर, 2.25 लाख किसानों को लाभ होगा